न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

बलदेवाराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा— 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 180 / 2025 (दूदू)

	श्री अजीतसिंह राठौड राजकीय अभिभाषक	
15.04.2025	बलदेवाराम बनाम राजस्थान सरकार(2025 / 180) यह अपील श्री अजीतसिंह राठौड एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 24ए / 2025 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 28.04.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
28.04.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण नक्शा ट्रेस की आड में प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 5902, 5898, 5899 एवं 5897 पर कब्जे काश्त में दखलअंदाजी उत्पन्न कर असल अप्रार्थीगण बेदखल करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी की एक चक आराजीयात से महरूम हो जायेंगे। प्रथम दृष्टया प्रकरण एव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 27.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश किया गया, जिसे दर्ज कर प्रार्थी / अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 07.05.2025 नियत की गई। उक्त आदेश अंतिम आदेश नहीं होकर अंतरिम आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को जवाब / सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner